न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–41/2018–19

श्रीमती जयन्ती महतो...अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू एवं अन्य...प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
24.08.18		

अपीलार्थी श्रीमती जयन्ती महतो, पति–श्री सहदेव महतो, ग्राम–अलना जामटोली, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–289 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–22/06/2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
नेउरी	बुण्डू/0018	11	07	07 डीसमील
			08	06 डीसमील
			09	2.23 एकड़
			32	70 डीसमील
			33	11 डीसमील

अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी ने उपरोक्त वर्णित भूमि विक्रेता देवाशीष कुण्डू वो सुष्मिता कुण्डू दोनों के पिता स्व० नगेन्द्र नाथ कुण्डू से पट्टा सं०–8160 दिनांक–19/07/2001 द्वारा क्रय कर उक्त भूमि पर दखलकार है। अपीलार्थी द्वारा नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, बुण्डू में आवेदन दिया गया जिसका नामांतरण वाद सं०–289 R27/2017-18 है। उक्त वाद में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को अपीलार्थी द्वारा अंचल अधिकारी, बुण्डू के समक्ष ग्राम नेउरी का खतियानी की छायाप्रति, माधव उराँव के विरूद्ध लगान निर्धारण वाद सं०–60/1933 आदेश फलक की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रयाग माधब कुण्डू के पक्ष में दी गई निलाम पत्र वाद सं०–60/1933–34 की प्रमाणित प्रतिलिपि, दखल देहानी का रसीद की प्रमाणित प्रतिलिपि, देवाशीष कुण्डू वो सुष्मिता कुण्डू द्वारा सम्पन्न किया गया विक्रय पट्टा सं०–8160 दिनांक–19/07/2001 की मूल प्रति, दिनांक–29/12/1962 को नगेन्द्र नाथ कुण्डू के पक्ष में प्रयाग माधब कुण्डू द्वारा सम्पन्न किया गया दान पत्र की मूल प्रति, एवं एस०ए०आर० वाद सं०–11/02–03 में पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। उपरोक्त सभी दस्तावेजों को नजर अंदाज करते हुए अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–289 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक–22/06/2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को आवेदक द्वारा भूमि से संबंधित सत्यापित कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अतः अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को निदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी से सत्यापित प्रति प्राप्त कर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज कर शुद्धि पत्र निर्गत करते हुए लगान रसीद निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

24/08/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

24/08/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।